संख्या 528 XVII(2) 2011 335 2010

एम0 एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
आई0सी0डी0एस0
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

3. निदेशक
कोषागार एवं वित्त सेवाएं
उत्तराखण्ड देहरादून।

4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

**महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग,** देहरादूनः दिनांक 08 मार्च, 2011

**विषय– आई0सी0डी0एस0 योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रो में माता समितियों के बैंक खातों में ई–ट्रांस्फंर (इलेकट्रानिक ट्रांस्फर) के माध्यम से धनराशि के अन्तरण की सुविधा के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश संख्या 117/XVII(2)/2008 दिनांक 16–05–2008 में आई0सी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत माता समिति के अध्यक्ष एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका (कार्यकत्री का पद रिक्त होने की दशा में) का सरकारी बैंक में पदनाम से संयुक्त रूप से खाता खोले जाने की व्यवस्था है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि माता समितियों के बैंक खातों में नियमित रूप से धनराशि अन्तरित होने में विलम्ब होता है जिसके कारण कुक्ड–फूड योजना को नियमित रूप से संचालित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

2– शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के आधार पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में माता समितियों के बैंक खातों में धनराशि भेजने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु एतद्द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जाये–

1– विभिन्न परियोजनाओं से कुक्ड–फूड योजना के नियमित संचालन की मासिक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त की जायेगी। नियमित केन्द्र संचालन की पुष्टि होने पर प्रत्येक त्रैमास के प्रथम माह के प्रथम सप्ताह में ही जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा कुक्ड–फूड योजना की पूर्ण त्रैमास की धनराशि के अग्रिम आहरण का बिल कोषागार को प्रेषित किया जायेगा। दूसरा अग्रिम तब तक नहीं लिया जा सकेगा जब तक पूर्व में लिये गये प्रथम अग्रिम का पूर्ण रूप से संतोषजनक उपयोग एवं समायोजन न कर लिया गया हो तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार डी सी बिल कोषागार में प्रस्तुत कर दिया गया हो।

2– समस्त कोषागार सुनिश्चित करेगे कि बिल प्राप्ति के 5 दिन के अन्दर (यदि कोई आपत्तियां हो तो उनका निराकरण कराते हुये) ट्रेजरी बैंक जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निर्गत कर दिया जाय।

3 ट्रेजरी चैक प्राप्त होने की दिनांक को ही जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उनके पदनाम से खोले गये खाते में धनराशि हेतु यह चैक जमा कर दिया जायेगा।

4– जिला कार्यक्रम अधिकारी के खाते में धनराशि प्राप्त होते ही 03 दिन के अन्दर सीधे माता–समितियों के खातो में ई–ट्रांस्फर (इलेकट्रानिक ट्रांस्फर) के माध्यम से धनराशि जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अन्तरित कर दी जायेगी।

5– उपरोक्त के लिये आवश्यक होगा कि सभी माता समितियां ई– ट्रांस्फर (इलेकट्रानिक ट्रांस्फर) सुविधा से जुडे बैंको में ही खाता खोले।

3– समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारियों तथा माता समितियों के खातों के Viewership Rights निदेशक आई0सी0डी0एस0 भी प्राप्त करेंगे ताकि समय–समय पर जिला कार्यक्रम अधिकारियों के खातो में धनराशि प्राप्त होने/निर्गत होने की समीक्षा हो पाये। साथ ही आंगनबाडी केन्द्रों पर भी धनराशि के व्यय की स्थिति ज्ञात हो सके।

4– कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 331(NP) दिनांक 03–03–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0 एच0 खान)
सचिव

संख्याः 528 (1)/XVII(2)/2011/335/2010/तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निदेशक आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
6. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

([illegible])
[illegible]